अपील सूचना अधिकार संख्या 106/2020 (RCMS 2020/00177) प्रताप सिंह शेखावत (एडवोकेट), 175/3 गणगौर नगर, जिला श्रीगंगानगर–335001 (मोबाईल नम्बर 94144–65664) बनाम प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह दिनांक 28.09.2020 को उपस्थित था उसके पश्चात की पेशी एवं आज अपीलार्थी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जिसे राज्य लोक सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्रांक 598 दिनांक 09.07.2020 से प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु हस्तान्तरित कर दिया था। आगे अपील में कथन किया है कि न्याय शाखा के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर उक्त सूचना उपलब्ध करवाने में अड़चन पैदा करते हुए सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखवत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2020 द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:37:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. यह कि दिनांक 01.03.2020 से सूचना उपलब्ध करवाने की दिनांक तक कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किये गए नवीन हथियार लाइसेंस की सूची
2. यहकि उक्त जारी किये गये नवीन हथियार लाइसेंस हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न समस्त दस्तावेज व नोटशीट की प्रति।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ17(1)( )न्याय/2020/13916 दिनांक 03.08.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2020 के द्वारा निम्न बिन्दु की सूचना चाही गई है :

क्र. सं.	बिन्दु	जवाब
1	यह कि दिनांक 01.03.2020 से सूचना उपलब्ध करवाने एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किये गये नवीन हथियार लाईसेंस की सूची।	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना से तात्पर्य विभाग में संधारित अभिलेख से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के अनुसार लोक सूचना अधिकार द्वारा सूचना सर्जित करना सूचना के अधिकार के दायरें में नहीं आता । सूचना उसी रूप में दी जा सकती है, जिस रूप में विभाग में संधारित हो। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र 10 जुलाई 2009 के अनुसार सूचना उसी रूप में प्रदान की जा सकती है। जिस रूप में प्राधिकरण के पास उपलब्ध तथ्यों को आंकलित कर गये तथ्यों का संकलन कर नई सूचना बनाक दिया जाना सूचना का अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।
2	यह कि उक्त जारी किये गये नवीन हथियार लाईसेंस हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न समस्त दस्तावेज व नोटशीट की प्रति।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:37:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		अतः आप द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत है। जिसे उपलब्ध करवाने में लोकप्राधिकरण के संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचलन होता है। अतः धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। आपको किसी विशिष्ट अभिलेख की प्रति की आवश्यकता है तो कार्यालय समय में रिकॉर्ड का निरीक्षण कर चाही जाने वाली सूचना को चिन्हित करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

-sd-
अति. जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 08.08.2020 को जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:37:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। **इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 08.08.2020 को दिया गया उत्तर सही** है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है इसलिए प्रार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:37:05 IST
Reason: SelfAttested